2020/00035

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी जिला जोधपुर

बइजलास–यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 12 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. धूड़ाराम पुत्र अमोलखराम 2. सुखराम पुत्र धूड़ाराम 3. दाणुराम पुत्र धूड़ाराम 4. भगवती पत्नि सुरेश जाति–विश्नोई निवासी–खावों की ढाणी रणीसर तहसील–फलोदी		1. मांगीलाल पुत्र धीराराम 2. खेमाराम पुत्र श्रवण जाति–मेगवाल निवासी–खावों की ढाणी (रणीसर) तहसील–फलोदी 3. तहसीलदार फलोदी 4. गोरधनराम पुत्र देवाराम 5. शेराराम पुत्र देवाराम 6. जेठाराम पुत्र देवाराम 7. उमाराम पुत्र देवाराम 8. लाधूराम पुत्र देवाराम 9. किलाराम पुत्र देवाराम 10. अमुराम पुत्र पेमाराम 11. नखताराम पुत्र पेमाराम 12. रेंवतराम पुत्र पेमाराम 13. नरसींगाराम पुत्र पेमाराम जाति–मेगवाल निवासी–बरजासर तहसील–फलोदी जिला–जोधपुर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित :–

1. श्री रेंवतसिंह पातावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री कृपालसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 ता 13

निर्णय

दिनांकः– 20.10.2020

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा सं. 157 रकबा 196 बीघा 14 बिस्वा सहहिस्सेदारी की काष्त भूमि ग्राम खावों की ढाणी (रणीसर) पटवार हल्का पड़ियाल में स्थित है जो उन्हें अपने पूर्वज अमोलखराम से विरासत में मिली हुई है जिसमें प्रार्थी धूड़ाराम का 1/3 हिस्सा, कालूराम का 1/3 हिस्सा, पांचाराम का 1/3 हिस्सा रहा है। तीनों भाईयों ने मिलकर मौके पर आपसी सहमति से संलग्न नजरी नक्शा माफिक बंटवाड़ा किया हुआ तथा मौके पर भाईयों का अलग–अलग माफिक नजरी नक्शा कब्जा काश्त है नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का भाग माना व समझा जावे। अप्रार्थी सं. 1 मांगीलाल एवं दो खेमाराम एवं उनके भाईयों के सहहिस्सेदारी की [illegible] सं. 167 रकबा 73 बीघा 15 बिस्वा, प्रार्थीगण की काष्त भूमि एवं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.11.26 15:15:45 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा स्थित है। अप्रार्थीगण सं 1 व 2 तथा उनके भाईयों की भूमि खसरा सं. 167 का भी मौके पर आपसी सहमति से अलग–अलग बहामी बंटवाड़ा होकर अलग–अलग कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा सं. 167 व प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 157 में से मौके पर नजरी नक्शा के माफिक रास्ता चलता है प्रार्थीगण के खसरा सं. 157 में से 2 बीघा 8 बिस्वा और अप्रार्थीगण सं. 1 एवं 2 के खसरा सं. 167 में से अप्रार्थीगण सं. 1 मांगीलाल के बंट में से 1 बीघा 2 बिस्वा तथा अप्रार्थी सं. 2 खेमाराम के बंट की भूमिमें से 13 बिस्वा मौका पर हल्का पटवारी से पैमाइश करवाकर मौके पर रास्ता निकाल दोनों तरफ खूंटे खड़े कर तारबंदी करवा दी। रास्ता में आने वाली भूमि के मुआवजे की राशि प्रार्थीगण एवं आसपास के लाभार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को भुगतान कर दिया मौके पर आमजन के लिये रास्ता खुला है। रास्ते का नजरी नक्शा व आवागमन करने वाले वाहनों सहित मौके के फोटो प्रार्थना पत्र के साथ पेश है माफिक नजरी नक्शा रिकार्ड में दर्ज करवाया जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की तरफ से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपने बंट व हिस्से तथा कब्जे की भूमि में से माफिक नजरी नक्शा मौका पर रास्ते के लिये कब्जा छोड़ देने एवं रास्ता में आने वाली भूमि के मुआवजे की राषि प्रार्थीगण एवं लाभार्थीगण से प्राप्त करना स्वीकार किया एवं मौके पर रास्ता के दोनों तरफ खूंटे खड़े करके तारबंदी की जाने के तथ्यों को स्वीकार किया।

तहसीलदार फलोदी से रास्ता में आने वाली खसरा सं. 167 एवं 157 के सम्बंध में रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार फलोदी की तरफ से हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट के माफिक खसरा सं. 167 में से 2–03 बीघा और प्रार्थीगण के खसरा सं. 157 में से 3–01 बीघा के साथ ही खसरा सं. 168/1 में से 2 बिस्वा भूमि रास्ता में आना बताया जाकर मौका फर्द मय डी.एल.सी. दर रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार फलोदी पेश की गई, चूंकि खसरा सं. 168/1 के खातेदारान को पूर्व में पक्षकार नहीं बनाया गया था। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर खसरा सं. 168/1 में से 02 बिस्वा रास्ता में आना बताया जाने पर खसरा सं. 168/1 के खातेदारान को पक्षकार बनाया जाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण सं. 4 ता 13 को पक्षकार जोड़ा जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण सं. 4 ता 13 की तरफ से जरिये अधिवक्ता खसरा सं. 168/1 में से 2 बिस्वा भूमि रास्ते में दर्ज कराने पर अपनी सहमति प्रदान की एवं रास्ता में जाने वाली 2 बिस्वा भूमि का मुआवजा लाभार्थीगण से प्राप्त कर लेना जरिये अधिवक्ता स्वीकार किया।

प्रार्थना पत्र पर अधिवक्तागण की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण का रास्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.11.26 15:15:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण सं. 4 ता 13 के खातेदारी की खसरा सं. 168/1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा में से 2 बिस्वा, खसरा सं. 167 रकबा 73 बीघा 15 बिस्वा में से अप्रार्थी सं. 1 मांगीलाल के हिस्से में से 1 बीघा 7 बिस्वा, अप्रार्थी सं. 2 खेमाराम के हिस्से में से 16 बिस्वा कुल 2 बीघा 3 बिस्वा एवं प्रार्थीगण के खसरा सं. 157 रकबा 196 बीघा 14 बिस्वा में से 3 बीघा 1 बिस्वा ग्राम खावों की ढाणी पटवार हल्का पड़ियाल के खाता में से माफिक नजरी नक्शा कम करके गैर मुमकिन रास्ता में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फलोदी इसी माफिक राजस्व अभिलेख में अंकन कर नक्शा में तरमीम कार्य पूर्ण कर प्रार्थीगण को रास्ता पुख्ता करें। तहसीलदार फलोदी एवं हल्का पटवारी पड़ियाल द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार फलोदी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
फलोदी

उपखण्ड अधिकारी फलोदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.11.26 15:15:45 IST
Reason: SelfAttested